

प्रशासनिक सेवाएँ तथा केंद्र बनाम दिल्ली सरकार

प्रलिस के लयः

भारतीय संवधान का 69वाँ संशोधन, संवधान का अनुच्छेद 239AA, सामूहिक उत्तरदायित्व

मेन्स के लयः

नई दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन

चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक सेवाओं पर नयितरण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ववाद का वषय बना हुआ है, जसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की [संवधान पीठ](#) द्वारा की जा रही है।

- इसी तरह के एक ववाद में एक अन्य संवधान पीठ द्वारा लगभग पाँच वर्ष पहले राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

ववाद की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 का नरिणयः**
 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अपने फैसले में कहा था कषिष्ट्रीय राजधानी कषेत्र (NCT) के प्रशासनिक उद्देश्यों के लयि उपराज्यपाल को हमेशा मंत्रपरिषद की सलाह और सफारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
 - वर्ष 2017 में अपील के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने [संवधान के अनुच्छेद 239AA](#) की व्याख्या पर नरिणय लेने के लयि मामले को आगे संदर्भति कयि।
- वर्ष 2018 का नरिणयः**
 - पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था क दिल्ली के उपराज्यपाल को नरिवाचति सरकार की सहायता और सलाह लेनी चाहयि और दोनों को एक-दूसरे के साथ मलिकर काम करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2019 का नरिणयः**
 - सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं के संदर्भ में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक असमान मत दयि तथा मामले को आगे की सुनवाई के लयि तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दयि था।
 - जबकि एकल न्यायाधीश ने नरिणय दयि था क दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है।
 - हालाँकि एक अन्य न्यायाधीश ने कहा था क नौकरशाही के शीर्ष अधिकारियों (संयुक्त नदिशक और उससे उच्च) की नयुक्ति सथानांतरण केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधति मामलों के लयि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का वचार मान्य होगा।
- वर्ष 2022 का मामलाः**
 - केंद्र ने 27 अपरैल, 2022 को एक बड़ी पीठ को संदर्भति करने की मांग यह तर्क देते हुए की क उसे राष्ट्रीय राजधानी और "राष्ट्र का चेहरा" होने के कारण दिल्ली में अधिकारियों के सथानांतरण एवं नयुक्ति करने की शक्ति की आवश्यकता है।
 - न्यायालय ने सहमति वयक्त की क "सेवाओं" शब्द के संबंध में केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी कषेत्र दिल्ली की वधायी एवं कारयकारी शक्तियों के दायरे से संबंधति सीमति प्रश्न को [संवधान के अनुच्छेद 145 \(3\)](#) के संदर्भ में संवधान पीठ द्वारा एक आधिकारिक नरिणय की आवश्यकता होगी।

मुद्दे में वाद और प्रतवादः

- वादः**
 - केंद्र लगातार कहता रहा है क चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है इसलयि प्रशासनिक सेवाओं पर इसका

नयितरण होना चाहिये, जसिमें नयिकृतयिँ और स्थानांतरण शामिल हैं।

■ प्रतवाडः

- दलली सरकार ने तरक दया है कसंघवाद के हतल में नरलवाकतल प्रतनलधलतल के पास स्थानांतरण और नयिकृतल कल शकृतल होनी चाहलतल।
- दलली सरकार ने यह भी दलील दी थी कल [राषुडरीय राजधानी कषेतर दलली सरकार \(संशोधन\) अधनलयम, 2021](#) में हालया संशोधन संवधलन के मूल ढाँचे के सदलधांत का उल्लंघन करता है।

नई दलली का शासन मॉडलः

- संवधलन कल अनुसूची 1 के तहत दलली का दरजा एक केंद्रशासतल प्रदेश का है, कतल अनुचछेद 239AA के तहत इसे 'राषुडरीय राजधानी कषेतर' का नाम दया गया है।
- भारत के संवधलन में 69वें संशोधन द्वारा अनुचछेद 239AA को सममलतल कया गया, जसलने केंद्रशासतल प्रदेश दलली को एलजी द्वारा प्रशासतल केंद्रशासतल प्रदेश घोषतल कया जो कल नरलवाकतल वधलनसभा कल सहायता और सलाह पर काम करता है।
 - हालौकल 'सहायता और सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधतल है जनल पर नरलवाकतल वधलनसभा को सार्वजनकल वयवस्था, पुलसल तथा भूमल के अपवाद के साथ [राज्य और समवरती सूची](#) के तहत शकृतयल प्राप्त हैं।
- इसके अलावा अनुचछेद 239AA यह भी कहता है कल एलजी को या तो मंत्रपरलषलद कल सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा अथवा वह राषुडरपतलदलवारल लयल गए नरलणय को लागू करने के लयल बाधय है।
- साथ ही अनुचछेद 239AA में यह वयवस्था है कल उपराज्यपाल और दलली सरकार के बीच कसलल मुददे पर मतभेद होने पर एलजी मामले को राषुडरपतल के पास भेज सकता है।
- इस प्रकार एलजी और नरलवाकतल सरकार के बीच यह द्वेध नयलतरण सतता संघरष कल ओर उनमुख हो जाता है।

आगे कल राह

- संवधलन कल संघीय प्रकृतल इसकल मूल वशलषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार सतता में रहने वाले हतलधारक हमारे संवधलन कल संघीय वशलषता कल रकषा करना चाहते हैं।
- भारत जैसे ववलधल और बड़े देश में संघवाद के सतंभों, यानल राज्यों कल स्वायत्तता, राषुडरीय एकीकरण, केंद्रीकरण, वकलेंद्रीकरण, राषुडरीयकरण तथा कषेतररीयकरण के बीच एक उकतल संतुलन कल आवश्यकता है।
 - अत्यधकल राजनीतकल केंद्रीकरण या अराजक राजनीतकल वकलेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाद को कमजोर कर सकते हैं।
- इस वकलट समस्या का संतोषजनक और स्थायी समाधान वधलन-पुस्तक में नहीं बल्कल सतता में बेटे लोगों कल अंतरात्मा में खोजना होगा।
- लोकतंत्र के सतंभों के रूप में [सामूहकल उततरदायतलत्व](#), सहायता और सलाह के साथ एक संतुलन खोजना एवं यह तय करना महत्त्वपूर्ण है कल दलली में सेवाओं पर केंद्र या दलली सरकार का नयलतरण होना चाहलतल या नहीं।

UPSC सवलल सेवा परीकषा, वगतल वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कया सर्वोचच न्यायालय का नरलणय (जुलाई 2018) दलली के उपराज्यपाल और नरलवाकतल सरकार के बीच राजनीतकल कशमकश को नपलटा सकता है? परीकषण कलजयल। (मुख्य परीकषा, 2018)

[सुरोतः इंडयलन एकस्प्रेस](#)